उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-13/2017/119 /अड़तीस-9-17-06(बजट)/15

लखनऊ : दिनांक-31 मार्च, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-13** के अन्तर्गत निम्नवत् तालिका के कालम-2 में अंकित लेखा शीर्षक के मानक मद में हो रही कुल बचत रू0 2,82,29,937.00 /-(रूपये दो करोड़ बयासी लाख उन्तीस हजार नौ सौ सैंतीस मात्र) अर्थात् 28230 हजार (पूर्णांकित करते हुये) जिसका विवरण कालम-3 में है, को पुनर्ग्रहण हेतु वित्त विभाग को समर्पित किया जाता है:-

आयोजनागत पक्ष **(धनराशि हजार रूपये में)**

क्रं0 सं0	**लेखा शीर्षक के विवरण**	**बचत/ समर्पित धनराशि**
1	**2**	**3**
1	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय	**28230**
कुल योग-		**28230**

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

<u>वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2</u>

<u>संख्या- यू0ओ0-ई-2-283/दस-2017 तद् दिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि</u>:- महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त धनराशि रू0 2,82,29,937.00 /-(रूपये दो करोड़ बयासी लाख उन्तीस हजार नौ सौ सैंतीस मात्र) अर्थात् 28230 हजार (पूर्णांकित करते हुये) की बचत वित्त विभाग द्वारा पुनर्ग्रहण कर ली गयी है।

बाराती लाल
उप सचिव।

<u>ग्राम्य विकास अनुभाग-9</u>

<u>संख्या-13/2017/119 (1)/अड़तीस-9-2017 तद् दिनांक</u>।

<u>प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>:-

1- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
3- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- गार्डबुक।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in